लेटर्स पेटेंट अपील

आर. एस. नरूला, सी. जे. और डी. एस. लांबा से पहले जे.

कुल भूषण आदि, - अपीलकर्ता।

बनाम

फकीरा और अन्य, प्रतिवादी-उत्तरदाता।

लेटर्स पेटेंट अपील नं. 1974 का 35

10 मार्च, 1976।

पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम (1953 का X) - धारा 10 ए (ए) और (बी), 10-बी और 25 - परिसीमा अधिनियम (1963 का 36) - अनुच्छेद 65 और 100 - एक बड़े भूस्वामी के हाथों में अधिशेष क्षेत्र - उसकी मृत्यु के बाद लागू ऐसे क्षेत्र के उपयोग का आदेश - भूमि उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में मिला है - अनुमेय क्षेत्र धारण करने वाला प्रत्येक उत्तराधिकारी - ऐसे उत्तराधिकारियों द्वारा कब्जे के लिए मुकदमा - सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र - चाहे प्रतिबंधित हो - ऐसा मुकदमा - चाहे अनुच्छेद 65 द्वारा शासित हो।

पंजाब भूमि अवधि सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 19 ए (ए) राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी भी अधिकारी को "किसी भी अधिशेष क्षेत्र" का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है। उस धारा का खंड (ख) जो खंड (क) को उस अबाध्यकारी खंड के कारण निरस्त करता है जिसके साथ वह खंड (क) के संचालन से स्पष्ट रूप से बचाता है, जो किसी कानून के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहण के कारण अधिशेष नहीं रह गया है या जो किसी ऐसे उत्तराधिकारी के हाथ में हो सकता है जिसने इसे विरासत में प्राप्त किया है। जहां विरासत में मृत जमींदार के उत्तराधिकारी छोटे भूस्वामी बन जाते हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक द्वारा विरासत द्वारा प्राप्त भूमि अनुमेय सीमा के भीतर है और उनमें से किसी के पास भी धारा 10-बी के संचालन द्वारा कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं है, धारा 10-ए के खंड (बी) के तहत उत्तराधिकारियों के पक्ष में निर्दिष्ट बचत लागू होगी। जब आवंटियों के पक्ष में उपयोग और कब्जे का आदेश पारित किया जाता है और मृत भूमि मालिक की मृत्यु के बाद लागू किया जाता है, तो ऐसा आदेश "अधिनियम के तहत" नहीं लिया जाता है या बनाया जाता है और इसलिए अधिनियम की धारा 25 में उत्तराधिकारियों द्वारा दायर कब्जे के लिए मुकदमा चलाने के लिए सिविल कोर्ट का कोई आवेदन और अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अभिनिर्धारित किया गया कि एक मृत जमींदार के उत्तराधिकारियों के हाथों में भूमि के उपयोग का आदेश जो विरासत में छोटे भूमि मालिक हैं, कानून की नजर में मौजूद नहीं है और पूरी तरह से शून्य है। यह आवश्यक नहीं है कि इस तरह के आदेश को रद्द कर दिया जाए और ऐसे उत्तराधिकारियों द्वारा कब्जे के लिए मुकदमा परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 65 द्वारा शासित हो, क्योंकि यह अचल संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमा है। परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 100 उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां किसी अधिकारी का कार्य या आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है या अन्यथा अमान्य है। (पैरा 4)।

माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा की डिक्री और निर्णय से लेटर्स पेटेंट के खंड X के तहत लेटर्स पेटेंट अपील, जो 1973 के आरएसए नंबर 442 में 24 अक्टूबर, 1973 को पारित किया गया था, जिसमें श्री आरएल गर्ग, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गुड़गांव के दिनांक 14 फरवरी, 1973 के डिक्री को रद्द कर दिया गया था, जिसमें श्री एच.सी. गुड़गांव के वरिष्ठ उप-न्यायाधीश ने 30 नवंबर, 1970 को वादी-प्रतिवादियों के मुकदमे को खारिज कर दिया।

प्रीतम सिंह जैन, एडवोकेट और वीएम जैन। सी. बी. गोयल। अपीलकर्ताओं के *लिए वकील।*

ज्ञान सिंह, एडवोकेट, एचएन मेहतानी, डीएजी, हरियाणा: *उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

आर. एस. नरूला, सी.जे. (मौखिक)

1. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य विवाद में नहीं हैं। बिहारी लाल एक बड़ा ज़मींदार था। उनके अधिशेष क्षेत्र को 28 जनवरी, 1960 को पंजाब भूमि कार्यकाल सुरक्षा अधिनियम, 1953 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) के तहत निर्धारित और घोषित किया गया था। उसी साल दिसंबर में बिहारी लाल की मौत हो गई। 2 साल से अधिक समय बाद, जो क्षेत्र बिहारी लाई के हाथों में अधिशेष था, उसे किरायेदारों को आवंटित किया गया था जो अब हमारे सामने प्रतिवादी हैं। आवंटित क्षेत्र का कब्जा किरायेदारों को भी दिया गया था। 30 अक्टूबर, 1969 को, बिहारी लाई के उत्तराधिकारियों कुल भूषण और अन्य (बिहारी लाई के बेटे और विधवा) ने इस आधार पर विवाद में भूमि के कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया कि वादी-अपीलकर्ताओं के हाथों में कोई अधिशेष भूमि नहीं थी जो बिहारी लाई की मृत्यु के बाद और भूमि के उपयोग से पहले छोटे ज़मींदार बन गए थे। और, इसलिए, उन्हें अवैध रूप से भूमि से बेदखल कर दिया गया था, जिसे अधिनियम के तहत उचित नहीं ठहराया जा सकता था। किरायेदार-प्रतिवादियों द्वारा विभिन्न आधारों पर मुकदमा लड़ा गया था, जिसके कारण दस मुद्दों को तैयार किया गया था, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

"1. बिहारी लाई की मृत्यु कब हुई?

1. क्या वादी उसके उत्तराधिकारी हैं?

2. क्या वादी बिहारी लाई की मृत्यु से पहले या उससे पहले छोटे ज़मींदार थे?

3. क्या बिहारी लाई के जीवनकाल में इस भूमि का उपयोग किया गया था?

4. यदि मुद्दा संख्या 4 साबित नहीं होता है और मुद्दा संख्या 2 और 3 साबित हो जाता है, तो क्या इसका उपयोग उसकी मृत्यु के बाद किया जा सकता है?

5. क्या वाद पत्र के पैराग्राफ संख्या 6 में उल्लिखित कारणों के लिए प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के पक्ष में भूमि का उपयोग अवैध और शून्य है?

6. क्या धारा 80 के तहत नोटिस जारी किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, अवैध थी?

7. क्या सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है?

8. क्या मुकदमा समय के अनुसार प्रतिबंधित है?

9. क्या यह मुकदमा पक्षकारों के गलत आचरण के लिए बुरा है, और कार्रवाई और बहुविधता के कारण

हैं?

2. ट्रायल कोर्ट द्वारा 30 नवंबर, 1970 के अपने फैसले में उपरोक्त उद्धृत मुद्दों पर दर्ज निष्कर्ष यह थे कि बिहारी लाई की दिसंबर, 1960 में मृत्यु हो गई थी, कि वादी उनके उत्तराधिकारी थे, कि वादी बिहारी लाई की मृत्यु के बाद छोटे ज़मींदार थे, कि बिहारी लाई के जीवनकाल में सूट भूमि का उपयोग नहीं किया गया था। और यह कि उनकी मृत्यु के बाद अधिनियम के तहत इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था, इसलिए, यह माना गया कि प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के पक्ष में भूमि का उपयोग शून्य था, और सिविल कोर्ट के पास मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र था। आगे यह पाया गया कि मुकदमा पक्षकारों के गलत होने या कार्रवाई के कारणों के लिए बुरा नहीं था, लेकिन यदि 16 वाद को मुद्दे संख्या 4 पर निष्कर्ष के कारण इस आशय से खारिज कर दिया गया था कि इसे समय द्वारा रोक दिया गया था। वाद को परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 113 (इसके बाद नया अधिनियम कहा जाता है) के तहत समय से परे माना गया था। असफल वादी की अपील को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री आरएल गर्ग की अदालत के फैसले और डिक्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। गुड़गांव, दिनांक 14 फरवरी। 1973. विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने मुद्दे संख्या 9 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलटने के लिए नए अधिनियम में अनुसूची के अनुच्छेद 65 को लागू किया। ट्रायल कोर्ट के अन्य सभी निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का परिणाम यह था कि 1973 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 442 में जाने के लिए प्रतिवादी-किरायेदारों की बारी थी। उस अपील को 24 अक्टूबर, 1973 को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री द्वारा अनुमति दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय ने असफल वादियों द्वारा इस पत्र पेटेंट अपील को दायर करने का नेतृत्व किया है। विद्वान न्यायाधीश ने माना है कि मुकदमा अधिनियम की धारा 25 के तहत निषिद्ध था और नए अधिनियम के अनुच्छेद 100 के तहत भी समय द्वारा प्रतिबंधित था।

3. लेटर्स पेटेंट के खंड (एच) के तहत इस अपील में, चैंबर्स में विद्वान न्यायाधीश के उक्त निर्णय में श्री प्रीतम सिंह जैन द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अधिनियम की धारा 25 द्वारा केवल ऐसे मुकदमों की सुनवाई के लिए बाहर रखा गया है, जिसमें "इस अधिनियम के तहत" ली गई या की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता पर सवाल उठाया गया है। उनका तर्क यह है कि विवादित प्रतिवादियों को भूमि के उपयोग और कब्जे का आदेश अधिनियम के तहत एक आदेश नहीं था क्योंकि अधिनियम इस तरह के किसी भी आदेश को पारित करने की अनुमति नहीं देता था और वादी-अपीलकर्ताओं की भूमि का कब्जा प्रतिवादियों को देने की परिकल्पना नहीं करता था, और वादी अधिनियम के तहत बड़े भूमि-मालिक नहीं थे और उनके हाथों में कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं था। वादी ने अपने पूर्ववर्ती बिहारी लाई के हाथों में अधिशेष क्षेत्र की घोषणा का विरोध नहीं किया। उन्होंने 28 जनवरी, 1960 को अधिनियम के तहत पारित आदेश की वैधता, वैधता या शुद्धता पर किसी भी स्तर पर हमला नहीं किया है। विद्वान वकील का तर्क अधिनियम की धारा 10-ए (ए) और (बी) के साथ धारा 10-बी के सादे पठन पर आधारित है। वे प्रावधान निम्न शर्तों में हैं -

"10 ए (क) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त अधिकार प्राप्त कोई अधिकारी, धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकाले गए या निकाले जाने वाले किरायेदारों के पुनर्वास के लिए किसी भी अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम होगा।

(ख) इस समय लागू किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी और राज्य सरकार द्वारा तत्समय लागू किसी कानून के

अधीन या उत्तराधिकारी द्वारा विरासत द्वारा अधिगृहीत भूमि के मामले में इस अधिनियम के प्रारंभ में अधिशेष क्षेत्र में शामिल भूमि का कोई अंतरण या अन्य निपटान नहीं किया जा सकता है, खंड (क) में उसके उपयोग को प्रभावित करेगा।

10-बी। *विरासत द्वारा बचत अधिशेष क्षेत्र के उपयोग के बाद लागू नहीं होगी।* जहां धारा 10-क के खंड (क) के अधीन अधिशेष क्षेत्र या उसके किसी भाग का उपयोग किए जाने के बाद उत्तराधिकार खुल गया है, उस धारा के खंड (ख) के अधीन विरासत द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में विनिर्दिष्ट बचत इस प्रकार उपयोग किए गए क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगी। ."

धारा 10-ए (ए) राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त किसी भी अधिकारी को "किसी भी अधिशेष क्षेत्र" का उपयोग करने के लिए अधिकृत करती है। उस धारा का खंड (ख) जो खंड (क) को उस *गैर-बाध्यकारी* खंड के कारण निरस्त करता है जिसके साथ वह (खंड ख) प्रारंभ होता है, स्पष्ट रूप से खंड (क) के संचालन से बचाता है जो या तो किसी कानून के तहत राज्य द्वारा अधिग्रहण के कारण अधिशेष नहीं रह गया है या जो किसी ऐसे उत्तराधिकारी के हाथ में हो सकता है जिसने इसे विरासत में प्राप्त किया है। इस मामले में दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों पर, जिन्हें हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है, यह स्पष्ट है कि वादी बड़े भूस्वामी नहीं थे और उनमें से प्रत्येक ने विरासत द्वारा जो भूमि अधिग्रहित की थी, वह अनुमेय सीमा के भीतर थी और इसलिए, उनमें से किसी के पास कोई अधिशेष नहीं था। क्षेत्रों। अगर बिहारी लाई के हाथों में अतिरिक्त क्षेत्र का उपयोग उनकी मृत्यु से पहले किया गया होता तो चीजें अलग होतीं। धारा 10-बी के संचालन के अनुसार, धारा 10-ए के खंड (बी) के तहत उत्तराधिकारियों के पक्ष में निर्दिष्ट बचत तब मामले पर लागू नहीं होगी। इस मामले में, हालांकि, यह स्वीकार किया गया तथ्य है कि आवंटी-किरायेदारों के पक्ष में उपयोग और कब्जे का आदेश बिहारी लाई की मृत्यु के बाद बनाया गया था, पारित किया गया था और लागू किया गया था।

इसलिए, अधिनियम की धारा 10-बी में उस मामले पर कोई आवेदन नहीं है जो धारा 10-ए (बी) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है। ऐसा होने के कारण, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत संवेदनशील बनाए जाने की मांग की गई कार्यवाही या आदेश को "अधिनियम के तहत" नहीं लिया गया था या बनाया गया था, और इसलिए, धारा 25 जिसे नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, का इस मामले में कोई आवेदन नहीं है: –

"इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालयों और authorities__Except के बहिष्करण के लिए, इस अधिनियम के तहत ली गई या की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता पर किसी भी अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष सवाल नहीं उठाया जाएगा

विद्वान एकल न्यायाधीश ने विचार किया है कि उपयोग का आदेश केवल एक गलत आदेश या एक अवैध आदेश था, और इसलिए, वादी को उस आदेश या कार्यवाही से बचने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क करना था। यह उस आधार पर था कि विद्वान न्यायाधीश ने माना है कि वादी को एक घोषणा की मांग करनी होगी कि "अधिनियम के तहत" अधिकारियों द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। कानून के इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि यदि आदेश केवल गलत, अवैध या अमान्य था, लेकिन "अधिनियम के तहत" पारित किया गया था, तो इसे लागू करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को धारा 25 द्वारा रोक दिया गया होगा और वादी को उस आदेश को रद्द करने के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क करना होगा। न ही हमें इस बात में कोई संदेह है कि वर्तमान मामले में भी, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो वादी आदेश को रद्द करने और उपयोग की कार्यवाही के लिए अधिनियम के तहत अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे। यहां

तक कि क्षेत्राधिकार के बिना एक अदालत के पास यह तय करने का अधिकार क्षेत्र है कि क्या उसे राहत देने के लिए संपर्क किया जा सकता है या नहीं या क्या उसका अधिकार क्षेत्र वैधानिक प्रावधान के तहत निषिद्ध है या नहीं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ऐसा आदेश देने के लिए मजबूर किया जाता है जो *शुरू से ही* शून्य है और *उस* विशेष अधिनियमन के तहत कार्यवाही का सहारा लेकर टाला जाता है जिसके तहत आदेश पारित किया गया है। किरण सिंह और अन्य *बनाम चमन पासवान और अन्य के मामले में इसे आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है।*[1] उनके लॉर्डशिप द्वारा यह माना गया था कि यह एक मौलिक सिद्धांत है कि अधिकार क्षेत्र के बिना एक न्यायालय द्वारा पारित डिक्री एक अमान्य है, और जब भी और जहां भी इसे लागू करने या भरोसा करने की मांग की जाती है, इसकी अमान्यता स्थापित की जा सकती है, यहां तक कि निष्पादन के स्तर पर और संपार्श्विक कार्यवाही में भी। लॉर्डशिप ने देखा कि अधिकार क्षेत्र का दोष किसी भी डिक्री को पारित करने के लिए अदालत के अधिकार पर हमला करता है, और इस तरह के दोष को पार्टियों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है। जैसा भी हो, अधिनियम की धारा 25 के तहत प्रतिबंध बहुत अधिक प्रतिबंधित है। यह स्थापित कानून है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के तहत सामान्य सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन सख्ती से साबित किया जाना चाहिए। एक बार जब यह माना जाता है कि बिहारी लाई की मृत्यु के बाद वादी की भूमि के उपयोग की कार्यवाही या आदेश अधिनियम के तहत एक नहीं था, तो इसे केवल प्रिवी काउंसिल, लाहौर उच्च न्यायालय के फैसलों और निम्नलिखित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप की आधिकारिक घोषणा के संदर्भ की आवश्यकता होती है ताकि यह माना जा सके कि अधिनियम की धारा 25 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई आवेदन नहीं है: –

- *राज्य सचिव* वी। *मास्क* एंड कंपनी।[2]
- *लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड* v. *पंजाब प्रांत*।[3]
- के. एल. *गौबा* बनाम *पंजाब कॉटन प्रेस कंपनी लिमिटेड*[4]
- *धुलाभाई*, आदि *मध्य प्रदेश राज्य एक और*।[5]

एकमात्र अन्य आधार जिसके आधार पर वादी के मुकदमे को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है, वह सीमा से संबंधित मुद्दा संख्या 9 पर विद्वान न्यायाधीश का निर्णय है। नए अधिनियम का अनुच्छेद 100, जो परिसीमा अधिनियम, 1908 (इसके बाद पुराने अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अनुच्छेद 14 के समतुल्य है, में *अन्य बातों के साथ-साथ* यह प्रावधान है कि सरकार के किसी अधिकारी के किसी कार्य या आदेश को उसकी आधिकारिक क्षमता में निरस्त करने के लिए मुकदमा दायर करने की 1 सीमा अधिकारी के अधिनियम या आदेश की तारीख से एक वर्ष है। धौरीकल बनाम भारत मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के बाद । *मन कौरी और एक अन्य*,[6] विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि उपयोग के आदेश से

---

[1] **ए.आई.आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 340.**

[2] **ए.आई.आर. 1941 प्रिवी काउंसिल 105**

[3] **ए.आई.आर. 1943 लाहौर 41.**

[4] ए.आई.आर. 1941 लाहौर 234 (एफ.बी.)

[5] **ए.आई.आर. 1969 एस.सी.**

[6] 1970 पी.एल.जे. 402

बचा जाना चाहिए और वादी द्वारा इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। धौंकल के मामले में शून्य और अमान्य आदेशों का उल्लेख किया गया और उन पर चर्चा की गई। यह माना गया था कि एक अमान्य आदेश के मामले में इसे रद्द करना आवश्यक था। पहले बिंदु पर चर्चा से यह स्पष्ट है कि वादी के हाथों में भूमि के उपयोग का आदेश केवल एक अमान्य आदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसा आदेश था जो कानून की नजर में अस्तित्वहीन था, और *शुरू से ही* पूरी तरह से शून्य था, और इसलिए, एक ऐसा था जो वास्तव में कानून की नजर में अस्तित्वहीन था। ऐसा मामला होने के नाते वादी के लिए न तो उस आदेश को रद्द करना आवश्यक था, न ही वादी का मुकदमा जो एक साधारण मुकदमा था; आदेश के अमान्य या शून्य होने के बारे में घोषणा के लिए कब्जा या आदेश या कार्यवाही को रद्द करने के लिए एक मुकदमा माना जाए। इस दृष्टिकोण में हम बिशन नारायण, जे. (जैसा कि वह तब थे) *के सुधु सिंह* बनाम *मामले में दिए गए फैसले से समर्थित हैं।चंदा सिंह* और अन्य,[7] और जगदीश प्रसाद माथुर और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला *संयुक्त प्रांत सरकार*।[8]

साधु सिंह के मामले *में बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ के राज्य सचिव बनाम राज्य* मामले में दिए *गए एक पूर्व खंडपीठ के फैसले पर आधारित* है। *फरीदून जिजीभाई दिवेचा और अन्य*,[9] और टी थिरुवेंकटाचार्युलु और अन्य के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला *राज्य सचिव*,[10] यह माना गया था कि यदि किसी अधिकारी का कार्य या आदेश अवैध या अधिकार से बाहर है तो इसे रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और पुराने अधिनियम के अनुच्छेद 14 में ऐसे मामले पर कोई लागू नहीं होता है जगदीश प्रसाद माथुर और अन्य (सुप्रा) के मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि पुराने अधिनियम का अनुच्छेद 14 उन मामलों पर लागू नहीं होता है जहां किसी अधिकारी का कार्य या आदेश *अधिकार* क्षेत्र से बाहर है या अन्यथा अमान्य है। लॉर्डशिप ने कहा कि यह अनुच्छेद केवल ऐसे मामलों पर लागू होता है जहां आदेश के *उल्लंघन* या आदेश देने वाले व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता का कोई सवाल नहीं है, लेकिन जहां आदेश को किसी अन्य आधार पर रद्द करने की मांग की गई है। हम साधु सिंह के मामले में बिशन नारायण, जे. की उक्ति और *जगदीश प्रसाद माथुर और अन्य* के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले *से सम्मानपूर्वक सहमत हैं,* जिस हद तक वर्तमान मामले के लिए उन मामलों पर भरोसा करना आवश्यक है। अनुच्छेद 100 की प्रयोज्यता के अभाव में, मुकदमा नए अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 द्वारा शासित होता है क्योंकि यह अचल संपत्ति के कब्जे के लिए एक मुकदमा था। मुकदमा 12 वर्षों के भीतर दायर किया गया था, स्पष्ट रूप से उस अनुच्छेद के तहत समय के भीतर था। यहां तक कि उत्तरदाताओं ने यह सुझाव नहीं दिया है कि अनुच्छेद 100 की गैर-प्रयोज्यता के बारे में हमारा निष्कर्ष सही होने की स्थिति में कोई अन्य अनुच्छेद लागू होगा।

किरायेदार-प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री ज्ञान सिंह ने कुलदीप सिंह बनाम भारत मामले में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के अधिकार पर तर्क दिया है। *वित्तीय आयुक्त और अन्य ने*[11] कहा कि वादी का यह दायित्व है कि वे अपेक्षित राहत प्राप्त करने के लिए अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों की धारा 10-ए और नियम 6 के तहत कलेक्टर के पास जाएं, और इसलिए, वे मुकदमा दायर नहीं कर सकते थे, जिससे वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है। हमने पहले ही माना है कि वादी के लिए दोनों उपाय उपलब्ध थे और केवल यह तथ्य कि वे अधिकारियों से संपर्क कर सकते थे, सिविल मुकदमे को मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र पर रोक नहीं लगाता है जिसे अधिनियम की धारा 25 द्वारा बाहर नहीं

---

[7] **एजेआर 1957 पीबी: 108।**

[8] **ए.आई.आर. 1956 इलाहाबाद 114**

[9] ए.आई.आर. 1934 बॉम्बे 434

[10] ए.आई.आर. 1934 मद्रास 147

[11] 1973 पी.एल.जे. 146

किया गया है। *पंजाब राज्य और अन्य ने*[12] तर्क दिया कि यद्यपि वाद को कब्जे के लिए इस तरह से कहा गया था, लेकिन यह प्रभावी था और वास्तव में, अधिनियम की धारा 10-ए (ए) के तहत पारित उपयोग के आदेश को रद्द करने के लिए एक मुकदमा था। हम *हरदेन सिंह के मामले* (सुप्रा) में डिवीजन बेंच के फैसले से कानून के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को बताने में असमर्थ हैं।

इस अपील में हमारे सामने किसी अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई है। पूर्वगामी कारणों से हम इस अपील को अनुमति देते हैं, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और डिक्री को उलट देते हैं और इसके स्थान पर विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की डिक्री को बहाल करते हैं। वादी-अपीलकर्ताओं के मुकदमे को लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना निर्धारित किया गया है।

एन.के.एस.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

जिज्ञासा शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

[12] 1971 पी.एल.जे. 263